अध्याय IV

विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों की अननुपालना

4.1 प्रस्तावना

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) व्यापार सुगमता में सुधार करने तथा व्यवसाय करने को सुगम बनाने पर फोकस करते हुए माल तथा सेवाओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए ढ़ाँचा प्रदान करती है। एफटीपी 2015-2020 को केन्द्र सरकार ने सशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) (एफटीडीआर) अधिनियम 1992, की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), एफटीपी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जिसे डीजीएफटी तथा राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाता है।

एफटीपी के अंतर्गत निर्यात संवर्धन योजनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(i) भारतीय योजनाओं से निर्यात: इनका उद्देश्य निर्यात में ढ़ाँचागत अक्षमताओं तथा संबंधित लागतों का समंजन करने के लिए पारितोषिक प्रदान करने तथा निर्यातको को माल के निर्यातों में समान अवसर प्रदान करना है। इस श्रेणी के तहत दो मुख्य योजनाएं भारत से व्यापारिक वस्तु निर्यात योजना[17] (एमईआईएस) तथा भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) है।

(ii) शुल्क छूट तथा माफी योजनाएं: ये निर्यात उत्पादन हेतु पूंजीगत माल और अन्य इनपुटों के शुल्क मुक्त आयातों या रियायती दरों पर आयातों अथवा निर्यातकों द्वारा निर्यातित माल के उत्पादन के दौरान वहन किए गए करों तथा शुल्कों से राहत उपलब्ध कराने के लिए शुल्क माफी को सक्षम बनाती है। इस श्रेणी के अंतर्गत अग्रिम अधिकार, शुल्क मुक्त आयात अधिकार तथा शुल्क प्रतिअदायगी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। निर्यात संवर्धन

---

[17] एमईआईएस को 1 जनवरी 2021 से वापस ले लिया गया था।

पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजनाएं निर्यात माल के प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पादन और सेवाओं के लिए शून्य/रियायती दरों के तहत पूंजीगत माल के आयात को सुगम बनाती है।

डीजीएफटी विभिन्न निर्यात संर्वधन योजनाओं के अंतर्गत निर्यातको को पत्रक जारी करता है तथा 24 क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) के नेटवर्क के माध्यम से उनके संबंधित दायित्व की जाँच करता है। सभी 24 आरए कम्पयूटरीकृत है तथा डीजीएफटी सेंट्रल सर्वर से जुड़े हुए हैं। डीजीएफटी द्वारा जारी पत्रक के माध्यम से आयातों को नियमित करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचनाएं जारी की जाती है तथा इन पत्रकों को संबंधित आयतक निर्यातक द्वारा आयुक्तालय के अधीन सीमा शुल्क हाउस में पंजीकृत किया जाता है। निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत इनपुटों तथा पूँजीगत माल के आयात को सीमा शुल्क से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट दी गई है। ऐसे छूट प्राप्त माल के आयातक निर्धारित निर्यात दायित्वो (ईओ) को पूरा करने के साथ-साथ अन्य निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने का वचन देते है इसमे विफल होने पर दी गई छूट अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क विभाग द्वारा वसूली योग्य हो जाती है। सीमा शुल्क विभाग की कार्यवाई के अतिरिक्त, लाइसेंसधारी जारी लाइसेंस की शर्तों को पूरा न करने हेतु एफटीडीआर अधिनियम 1992, के अंतर्गत डीजीएफटी द्वारा दांडिक कार्यवाही का दायी होगा।

एफटीपी के अध्याय 3 के अंतर्गत कुछ अन्य योजनाओं के संबंध में, ढ़ांचागत अक्षमताओं तथा संबंधित लागतो की भरपाई के लिए पुरस्कार के रूप में निर्यात के एफओबी मूल्य के कुछ *प्रतिशत* के रूप में संवर्धन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

4.2 निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानो का अननुपालन

लाइसेंस/लागत वसूली प्रभार/ वापसी मामलों /निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू)/घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) स्वीकृतियों के 68,682 अभिलेखों की संसृति में से लेखापरीक्षा में 8,488 मामलों के नमूने का चयन किया और नमूना जांच के दौरान 745 अभिलेखों में महत्वपूर्ण अनियमितताएं पायी गई

जो इस अध्याय में शामिल हैं। पायी गई अनियमितताओं में "अग्रिम प्राधिकार के प्रति ईओ की पूर्ति न करना", " ईपीसीजी प्राधिकार को अनियमित संयोजित करने और निर्वहन (ईओ अवधि 6/8 वर्ष)", "निरस्त माल की डीटीए में बिक्री पर शुल्क का भुगतान न करना", "ईओयू द्वारा डी-बॉन्डिंग होने पर शुल्क का कम उदग्रहण", "डीटीए में अतिरिक्त बिक्री पर शुल्क का कम उदग्रहण", "एमईआईएस के तहत अधिक डयूटी क्रेडिट की अनुमति", "अप्राप्त विदेशी मुद्रा के मामलों में प्रतिअदायगी की वसूली न करना" और "सेज में तैनात अधिकारियों के लिए लागत वसूली प्रभारों की वसूली न करना", आदि शामिल हैं।

संबंधित आरए/डीसी/आयुक्तालयों में पायी गई अपेक्षाकृत कम राशि वाली अभ्युक्तियां निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जारी की गई थीं।

इन 35 उच्च मूल्य वाले मामलों में कुल राजस्व निहितार्थ ₹21.09 करोड़ था जहाँ एफटीपी तथा प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिका (एचबीपी) के प्रावधानों को पूरा किए बिना शुल्क छूट का लाभ लिया गया था। विभाग ने ₹10.49 करोड़ वाले 32 मामलो को स्वीकार किया तथा ₹6.31 करोड़ की वसूली की सूचना दी। इनमें से, 10 मामले की अनुगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है। ₹4.84 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ वाले शेष 25 मामले, जिन्हे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था तथा की गई वसूली/ शुरू की गई वसूली प्रक्रियाए, **अनुबंध 6** में उल्लेखित हैं।

4.2.1 अग्रिम प्राधिकार योजना

(क) अग्रिम प्राधिकार के प्रति निर्यात दायित्व की पूर्ति न करना

एचबीपी, खंड-I, के पैराग्राफ 4.22 के साथ पठित एफटीपी के पैराग्राफ 4.03 के अनुसार, अग्रिम प्राधिकार (एए) शुल्क मुक्त इनपुटों के आयात के लिए जारी किया जाता है जिसके लिए प्राधिकार जारी करने की तिथि से 18 महीने की अवधि के भीतर निर्धारित निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा किया जाना था। एचबीपी, खंड-I के पैराग्राफ 4.44 में यह निर्दिष्ट है कि प्राधिकार धारक ईओ अवधि की समाप्ति तिथि से दो महीने के भीतर निर्यात के साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। निर्धारित ईओ को पूरा करने में विफलता

की स्थिति में, प्राधिकार धारक ब्याज सहित आयातित सामग्री के अप्रयुक्त मूल्य पर परित्यक्त सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

2018-19 के दौरान परिपक्व ₹17,592.43 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले 645 अग्रिम प्राधिकार (एए) लाइसेंसों में से, लेखापरीक्षा में ₹2,031.63 करोड़ की सीआईएफ मूल्य वाले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए), बेंगलुरु में 126 लाइसेंस फाइलों की नमूना जांच की गई और पाया[18] कि मेसर्स एटी प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु, ₹66.48 लाख के परित्यक्त शुल्क वाले एक एए लाइसेंस (संख्या 0710111077 दिनांक 3 फरवरी 2017) के संबंध में निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है।

आरए, बेंगलुरु ने लाइसेंस जारी करने की तिथि से 18 महीने (अगस्त 2018) के भीतर ₹5.56 करोड़ के लिए निर्यात दायित्व को पूरा करने की शर्त के साथ ₹3.19 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के वाले "वायर क्लॉथ मेश एवं अन्य" के आयात के लिए मेसर्स एटी प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु को एए (सं. 0710111072, 3 फरवरी 2017) जारी किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च 2019) कि लाइसेंसी ने एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी), बेंगलुरु के माध्यम से माल आयात किया (ईडीआई बांड सं. 2001184888/10 फरवरी 2017) और ₹66.48 लाख के परित्यक्त शुल्क को डेबिट किया गया था। हालांकि, प्राधिकार धारक निर्धारित दायित्व अवधि बीत जाने के बाद भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहा। इस प्रकार, लाइसेंसी ₹29.56 लाख (अप्रैल 2020 तक) के ब्याज सहित ₹66.48 लाख का सीमा शुल्क देने हेतु उत्तरदायी था। हालांकि, विभाग ने शुल्क और ब्याज वसूलने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

यह बताए जाने पर (मार्च 2019), विभाग ने एक कारण बताओ नोटिस (अप्रैल 2019) जारी किया। इसी बीच, एचबीपी 2015-20 के पैराग्राफ 4.49 के संदर्भ में पूरे आयात को नियमित करने के लिए प्राधिकार धारक के

[18] इसके अतिरिक्त, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निरीक्षण रिपोर्ट की संख्या के माध्यम से आरए, बेंगलुरु को 67 सापेक्ष लघु अभ्युक्तियां भी जारी की गईं।

अनुरोध (जुलाई 2019/मई 2020) को मानदंड समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार, आरए, बेंगलुरु ने प्राधिकार धारक को पूरे आयात को नियमित करने और शुल्कों का भुगतान करने का निर्देश दिया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीजीएफटी, नई दिल्ली ने आगे बताया (मार्च 2021) कि प्राधिकार धारक के अनुरोध के बाद मानदंड समिति ने मानदंडों को अनुमोदन दे दिया (अक्टूबर 2020)। परिणामस्वरूप, प्राधिकार धारक ने अधिक अप्रयुक्त आयातों पर ₹10.32 लाख का भुगतान किया और एक बार फिर आयात माल के मानदंडों की समीक्षा के लिए मानदंड समिति से संपर्क किया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

4.2.2 निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना

(क) ईपीसीजी प्राधिकार को अनियमित संयोजित करने और निर्वहन

प्रक्रियाओं की पुस्तिका (एचबीपी), 2009-14 के पैराग्राफ 5.18 के साथ पठित पैराग्राफ 5.18.3 और 5.18.5 में यह निर्दिष्ट है कि प्राधिकार धारक, दो या अधिक ईपीसीजी प्राधिकारों को संयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी संयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। संयोजित प्राधिकार के लिए ईओ अवधि को पहले प्राधिकार के जारी होने की तिथि से गिना जाएगा।

1 सितंबर 2016 से 31 अगस्त 2017 की अवधि के दौरान ज़ोनल डीजीएफटी, कोलकाता, (क्षेत्रीय प्राधिकरण-आरए) द्वारा ईपीसीजी योजना के तहत जारी किए गए ₹369.60 करोड़ मूल्य वाले 933 लाइसेंसों में से, लेखापरीक्षा ने 182 लाइसेंसों की नमूना-जांच की और छः मामलों में ईपीसीजी प्राधिकारों के अनियमित निर्वहन के कारण सीमा शुल्क और ब्याज की गैर-वसूली को पाया।

मेसर्स एयू लिमिटेड (आईईसी सं. 0288017889) को ₹8.98 करोड़ की बचत शुल्क राशि के लिए एक ईपीसीजी प्राधिकार (19 फरवरी 2009) जारी किया गया था। फर्म ने 12 फरवरी 2008 और 31 मार्च 2009 के बीच अन्य पांच लाइसेंसों के साथ प्राधिकार के नियमितीकरण और मोचन के लिए एक पत्र प्रस्तुत किया (10 अप्रैल 2015)। लाइसेंस धारक ने अपने

आवेदन दिनांक 10 अप्रैल 2015 में आगे सूचित किया कि एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित आवश्यक विवरण, संबंधित शिपिंग दस्तावेजों की प्रतियों और विदेशी मुद्रा प्राप्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात, लाइसेंस धारक ने छह लाइसेंसों को संयोजित करने के लिए आवेदन किया (27 जून 2017) और उनके निर्वहन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए। आरए, कोलकाता ने संयोजित करने की पुष्टि की और 20 जुलाई 2017 को निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जारी किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि छह प्राधिकारों में से सबसे पुराना (संख्या 0230002994), 12 फरवरी 2008 को जारी किया गया था। तदनुसार, उनके एकीकरण के लिए वैध ईओ अवधि 11 फरवरी 2016 तक थी। इस प्रकार, उपरोक्त एचबीपी प्रावधानों के अनुसार, 11 फरवरी 2016 के बाद संयोजित करने पर विचार करने की अनुमति नहीं थी, जिससे 20 जुलाई 2017 को जारी ईओडीसी अनियमित हो गया।

आगे की जांच में पता चला कि छह में से तीन लाइसेंस में ईओ की पूर्ति में कमी थी। उसी के संबंध में बचत शुल्क राशि ₹4.29 करोड़ थी, जो लागू ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

यह बताए जाने पर (मार्च 2018), विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2019) कि मामले को संदर्भ के लिए नोट कर लिया गया है और भविष्य में इस तरह के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। विभाग ने आगे सूचित किया कि फर्म ने अपने पत्र दिनांक 30 मई 2016 के माध्यम से निर्वहन के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया था और उसी दिन संयोजित करने के लिए फिर से जमा कर दिया था। लेखापरीक्षा को, न केवल आवेदन को पुन: प्रस्तुत करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था बल्कि तथ्य यह भी था कि संयोजित करने की वैध ईओ अवधि अर्थात 11 फरवरी 2016 समाप्त हो गई थी।

विभाग ने बाद में सूचित किया (सितंबर 2020) कि संयोजित करने के लिए प्रारंभिक आवेदन ईओ अवधि की वैधता के भीतर आयात निर्यात[19] फॉर्म (एएनएफ) 5 सी के साथ प्रस्तुत किया गया था; तदनुसार, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि को ध्यान में रखा गया था।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दिनांक 10 अप्रैल 2015 का प्रारंभिक आवेदन अपूर्ण था जैसा कि इकाई द्वारा ही स्वं-घोषित किया गया था। जून 2017 में किया गया बाद का अनुरोध सबसे पुराने लाइसेंस की ईओ अवधि अर्थात फरवरी 2016 के पश्चात था; इसलिए लाइसेंसों का संयोजन अनियमित था।

(ख) ईपीसीजी लाइसेंस के प्रति निर्यात दायित्व को पूरा न करना

एफटीपी के पैराग्राफ 5.1 के अनुसार, ईपीसीजी योजना शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति देती है, जो इस योजना के तहत आयातित पूंजीगत माल पर बचत शुल्क के छह गुना के बराबर ईओ के विषयाधीन है, जिसे प्राधिकार जारी करने की तिथि से छह साल के भीतर पूरा किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर ईओ की पूर्ति न होने की स्थिति में आयातक लागू ब्याज के साथ सीमा शुल्क का भुगतान करेगा।

एडिशनल डीजीएफटी, (आरए) बेंगलुरू में 2017-18 के दौरान ईओ के लिए परिपक्व हुई ₹734.73 करोड़ की बचत शुल्क राशि वाले 479 ईपीसीजी लाइसेंसों फाइल में से, लेखापरीक्षा ने ₹119.73 करोड़ की बचत शुल्क राशि के साथ 159 लाइसेंस फाइलों की नमूना जांच की और एक ईपीसीजी लाइसेंस के संबंध में ₹66.02 लाख की बचत शुल्क राशि के साथ ईओ की गैर-पूर्ति को बताया।

मैसर्स एवी, बेंगलुरु ने आयुक्त सीमा शुल्क (शहर), बेंगलुरु के अधीन आईसीडी व्हाइटफील्ड के माध्यम से दिनांक 11 मई 2011 के ईपीसीजी लाइसेंस का उपयोग करते हुए पूंजीगत सामान 'मिलिंग सिस्टम और अन्य' का आयात किया (जून 2011)। आयातक मई 2017 तक ईपीसीजी योजना के तहत आयातित पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क (₹66.02 लाख) के

[19] ईपीसीजी योजना के तहत ईओ पुन: निर्धारण के लिए प्रपत्र।

छह गुना (₹3.96 करोड़) के बराबर ईओ को पूरा करने के लिए उत्तरदायी था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातक निर्धारित ईओ अवधि अर्थात मई 2017 की समाप्ति के 36 महीनों के बाद भी कोई निर्यात करने और ईओ की पूर्ति के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा था। ईओ की पूर्ति न करने के कारण, ₹66.02 लाख बचत शुल्क राशि की आयातक से लागू ब्याज सहित वसूली अपेक्षित थी।

यह बताए जाने पर (अप्रैल 2019) विभाग ने बैंक गारंटी का नकदीकरण करके ₹15.75 लाख की वसूली की सूचना (अप्रैल 2020) दी। शेष राशि की वसूली प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2021)।

4.2.3 निर्यातोन्मुखी इकाईयां (ईओयू)

(क) निरस्त माल को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में बिक्री करने पर शुल्क का भुगतान न करना

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी)[20] 2015-2020 में यह उल्लेखित है कि निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) को सामान्य डीटीए बिक्री पर लागू रियायती शुल्कों के भुगतान पर सीमा शुल्क अधिकारियों को पूर्व सूचना के तहत 50 *प्रतिशत* डीटीए बिक्री की समग्र निर्धारित सीमा के भीतर निरस्त माल को डीटीए में बेचने की अनुमति दी जाएगी।

एसइइपीजेड, मुंबई के अंतर्गत 149 ईओयू में से, जिनकी डीटीए बिक्री ₹3,463 करोड़ थी, लेखापरीक्षा ने 2018-19 में ₹544 करोड़ की डीटीए बिक्री के साथ 20 ईओयू की नमूना जांच की और एक मामले में ₹1.66 करोड़ की सीमा शुल्क के कम उदग्रहण को पाया।

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए मैसर्स एडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड की वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन (एपीआर) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि इस इकाई ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹7.71 करोड़ और ₹2.21 करोड़ की राशि के निरस्त माल की डीटीए[21] में बिक्री को

---

[20] एफटीपी 2015-2020 का पैरा 6.08 (घ)

[21] एपीआर की क्रम सं.-35(ख)

मंजूरी दे दी थी। इकाई ने निरस्त माल की ऐसी डीटीए बिक्री पर कोई शुल्क नहीं दिया था और बताया कि दोनों एपीआर में सूचित लेन-देन में कुछ भी डीटीए बिक्री नहीं है बल्कि माल की खरीद प्रतिफल और निरस्त माल था। निरस्त माल और खरीद प्रतिफल के डीटीए बिक्री का विवरण लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था। एक विनिर्माण इकाई में, खरीद प्रतिफल हमेशा कच्चा माल होगा, जबकि विनिर्माण गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाले निरस्त माल और डीटीए बिक्री के तहत एपीआर में दिखाई देते हैं। इकाई द्वारा शुल्क के भुगतान के बिना निरस्त माल की डीटीए में बिक्री एफटीपी के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप ₹1.66 करोड़ के शुल्क का उदग्रहण नहीं किया गया है।

यह बताए जाने पर (नवम्बर 2018), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2019) तथा उसकी वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)

(ख) घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में अतिरिक्त बिक्री पर शुल्क का कम उदग्रहण

एफटीपी 2015-20 के पैराग्राफ 6.8 (क) अन्य बातों के अलावा यह भी प्रावधान करता है कि ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयां रियायती शुल्कों के भुगतान पर निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 *प्रतिशत* तक माल की बिक्री कर सकती हैं। हालाँकि, एक से अधिक उत्पाद बनाने और निर्यात करने वाली इकाइयाँ इनमें से किसी भी उत्पाद को डीटीए में बिक्री कर सकती हैं, विशिष्ट उत्पादों के निर्यात के एफओबी मूल्य के 90 *प्रतिशत* तक, इस शर्त के अधीन कि कुल डीटीए बिक्री इकाई के कुल निर्यात के एफओबी मूल्य का *प्रतिशत* 50 के सर्वसमावेशी हकदारी से अधिक नहीं हो। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 23/2003-सीई दिनांक 31 मार्च 2003 से जुड़ी तालिका के क्रमांक 2 के साथ पठित इसकी शर्त 2 के अनुसार, एफटीपी के पैराग्राफ 6.8 के उप पैराग्राफ (ए), (डी), (ई) और (जी) के अनुसार डीटीए में मंजूर किए गए माल को सीमा शुल्क की रियायती दर के बराबर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

जीएसटी और सीई रेंज वी, डिवीजन II (पादरा), वडोदरा I आयुक्तालय के तहत ईओयू की मेसर्स एएक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान डीटीए में 43 प्रकार की वस्तुओं की निकासी की थी। लेखापरीक्षा ने इन सभी मदों (कुल ₹33.57 करोड़ रुपये का मूल्य शामिल है) की डीटीए निकासी और निर्यात का परस्पर मिलान किया और एक मद (एज़ैथियोप्रिन) की डीटीए निकासी के संबंध में ₹58.20 लाख की अभ्युक्ति को बताया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने 2014-15 से 2016-17 के दौरान शुल्क की रियायती दर पर डीटीए में ₹19.34 करोड़ मूल्य के "एज़ैथियोप्रिन" की निकासी की थी, हालांकि पिछले वर्ष (2014-15) के दौरान एज़ैथियोप्रिन का कोई निर्यात नहीं किया गया था और 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमश: ₹2.71 लाख और ₹2.85 लाख मूल्य के निर्यात ही किए गए थे। तदनुसार, ₹2.44 लाख (₹2.71 लाख का 90 *प्रतिशत*) मूल्य के एज़ैथियोप्रीन की डीटीए बिक्री पात्रता के सापेक्ष, ₹19.34 करोड़ मूल्य के माल को डीटीए में निकासी की थी। इसके परिणामस्वरूप, शुल्क की रियायती दर पर ₹19.32 करोड़ मूल्य के माल की अधिक निकासी हुई। इस प्रकार, डीटीए में अधिक निकासी पर लागू ब्याज सहित ₹58.20 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण वसूली योग्य था।

यह बताए जाने पर (नवंबर 2017), अपर आयुक्त, सीजीएसटी और सीई-I, वडोदरा-I ने ब्याज और जुर्माना सहित जनवरी 2014 से जून 2017 की अवधि के लिए ₹78.63 लाख की मांग की पुष्टि (मई 2019) की। हालांकि, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (फरवरी 2021) ने बताया कि आयुक्त, सीजीएसटी और सीई, अपील वडोदरा ने 30 जुलाई 2020 की अपील में एक अपील में आरोपित आदेश को खारिज कर दिया और मामले को नए अधिनिर्णयन के लिए अधिनिर्णयन प्राधिकारी को वापस भेज दिया था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

(ग) ईओयू द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी विनिमय (एनएफई) की अप्राप्ति के कारण डी-बॉन्डिंग पर शुल्क का कम उद्ग्रहण

अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु दिनांक 31 मार्च 2003 के अनुसार, सौ *प्रतिशत* निर्यात उन्मुख इकाई (100 *प्रतिशत* ईओयू) के संबंध में, पूंजीगत वस्तुओं की निकासी या डी-बॉन्डिंग के मूल्यह्रासित मूल्य पर निकासी और निकासी या डी-बॉन्डिंग की तिथि को लागू दर पर शुल्क के भुगतान पर अनुमति दी जा सकती है, जैसा मामला हो, यदि इकाई ने निकासी या डी-बॉन्डिंग के समय पूंजीगत वस्तुओं पर स्वीकार्य मूल्यह्रास को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) मानदंडों को पूरा किया है"। उक्त सकारात्मक एनएफई को प्राप्त करने में विफलता के मामले में, प्राप्त एनएफई के अनुपात में पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य पर मूल्यह्रास की अनुमति दी जाएगी।

मेसर्स के लिमिटेड, (समग्र विनिर्माण प्रभाग - 100 *प्रतिशत* ईओयू), बेंगलुरू ने (फरवरी 2016) अपने आयातित पूंजीगत वस्तुओं (मानक सहायक उपकरण के साथ हॉट एयर आटोक्लेव) पर ₹1.18 करोड़ के शुल्क का भुगतान करके ₹6.79 करोड़ के मूल्यह्रास मूल्य पर डी-बॉन्ड किया। पांच वर्षो की ब्लॉक अवधि के लिए ₹4.53 करोड़ के मूल्यह्रास की अनुमति दी गई थी, हालांकि यह सकारात्मक एनएफई की प्राप्ति के अधीन रहा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इकाई ने 19.58 *प्रतिशत* एनएफई प्राप्त किया है और यह केवल ₹4.53 करोड़ की अनुमति के मुकाबले ₹88.60 लाख के आनुपातिक अवमूल्यन के लिए पात्र था। इसके परिणामस्वरूप ₹63.29 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ, जो ब्याज के साथ वसूली योग्य थी।

यह बताए जाने पर (मार्च/अक्टूबर 2019), डिप्टी डीजीएफटी, बैंगलोर ने ₹48.25 लाख के ब्याज के साथ ₹63.29 लाख की वसूली की सूचना दी।

4.2.4 भारत से माल निर्यात योजना (एमईआईएस)

(क) गलत वर्गीकरण के कारण अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट का अनुदान

भारत से माल निर्यात योजना (एमईआईएस), एफटीपी, 2015-20 के अध्याय 3 के तहत एक निर्यात संवर्धन योजना है जो प्रक्रियाओं की हैंडबुक खंड-I, के परिशिष्ट 3 बी में निर्धारित दरों पर शुल्क ऋण का प्रावधान करता है। प्रतिफल की गणना मुक्त विदेशी मुद्रा में निर्यात के एफओबी मूल्य पर या शिपिंग बिलों में दिए गए निर्यात के एफओबी मूल्य पर होगी, जो भी कम हो, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। 'निर्मित वस्तुएं' के अलावा अन्य बेड लिनन, टेबल लिनन, टायलेट लिनन, कपास के किचन लिनन, हथकरघा के अलावा' का निर्यात क्रमशः एचबीपी/एमईआईएस शेड्यूल के परिशिष्ट 3 बी के क्रम संख्या 2762/2781 (एचएसएन 6302/6304) के तहत दो *प्रतिशत* के शुल्क क्रेडिट के लिए पात्र हैं।

शीर्षक 6307 के लिए एचएसएन में "किसी भी कपड़े की सामग्री के "निर्मित वस्तुएं" शामिल हैं, जो विशेष रूप से खंड XI के किसी अन्य शीर्षक में या नामकरण में कहीं और शामिल नहीं हैं।

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान, संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार (जेडीजीएफटी), मदुरै द्वारा ₹176.31 करोड़ के मूल्य के लिए जारी किए गए कुल 2,507 एमईआईएस स्क्रिप्स के सापेक्ष लेखापरीक्षा ने ₹18.68 करोड़ मूल्य के 234 एमईआईएस स्क्रिपों की नमूना जांच की और 70 लाइसेंसों में ₹94.62 लाख के शुल्क क्रेडिट के अधिक अनुदान को बताया किया।

मेसर्स एवाई और पांच अन्य ने 70 लाइसेंसों में आईटीसी (एचएस) 63079020 और 63079090 के तहत ओवन होल्डर, कॉटन एप्रन, कॉटन पॉट होल्डर, कॉटन डस्ट शीट, कॉटन पाउच, कॉटन पिलो कवर आदि का निर्यात किया। जेडीजीएफटी ने एचबीपी के परिशिष्ट 3बी के क्रमांक 2780/2825/2826 के तहत माल के निर्यात के लिए गलत तरीके से पांच *प्रतिशत* का शुल्क क्रेडिट प्रदान किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्यात की गई वस्तुएं अर्थात 'रसोई के लिनेन' 'निर्मित वस्तु' हैं और चूंकि रसोई लिनन के लिए परिशिष्ट 3 बी के क्रमांक 2762 के साथ आईटीसी एचएस के तहत एक विशिष्ट कोड 63029190 है, इसलिए इस माल को, इसी आईटीसी एचएस कोड के तहत उचित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, और परिशिष्ट के क्रमांक 2825 के तहत 5 *प्रतिशत* के बजाय 2 *प्रतिशत* के शुल्क क्रेडिट के लिए पात्र है। इसी तरह, निर्यात की गई वस्तुएं अर्थात 'पिलो केस और पिलो स्लिप्स आईटीसी एचएस कोड 63049239 के तहत वर्गीकृत हैं क्योंकि वे हथकरघा उत्पाद नहीं हैं बल्कि पावरलूम उत्पाद हैं और तदनुसार परिशिष्ट के क्रम संख्या 2780 के तहत 5 *प्रतिशत* की बजाय परिशिष्ट के क्रम संख्या 2781 के तहत 2 *प्रतिशत* के शुल्क क्रेडिट के लिए पात्र हैं। इसलिए, निर्यातित माल परिशिष्ट 3ख के क्रमांक 2762/2781 के तहत केवल 2 *प्रतिशत* शुल्क क्रेडिट के लिए पात्र हैं। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹94.62 लाख के शुल्क क्रेडिट का अधिक अनुदान हुआ।

यह बताए जाने पर (जुलाई/अगस्त/सितंबर 2019), जेडीजीएफटी, मदुरै ने ब्याज सहित ₹69.31 लाख की वसूली (मार्च 2021) की सूचना दी (मैसर्स एजेड एंड संस ₹0.32 लाख, मैसर्स एवाई ₹63.06 लाख, मैसर्स एएए-₹5.50 लाख और मैसर्स एएबी-₹0.43 लाख)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

4.2.5 शुल्क प्रतिअदायगी योजना

(क) अप्राप्त निर्यात आय के मामलों में प्रतिअदायगी की वसूली न करना

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, प्रतिअदायगी नियम, 2017 के उप-नियम 18(2) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 (I) के प्रावधानों के अनुसार, जहां एक निर्यातक को प्रतिअदायगी की राशि का भुगतान किया गया है लेकिन इस तरह के निर्यात के संबंध में बिक्री की आय निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होती है, भुगतान की गई प्रतिअदायगी निर्यातक से वसूली योग्य होगी। निर्यातक को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अनुसार निर्धारित या विस्तारित अवधि के भीतर निर्यात आय की वसूली का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2015 की धारा 9 के अनुसार, निर्यात की तिथि से नौ महीने के भीतर माल का निर्यात मूल्य प्राप्त किया जाएगा और भारत को प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), सनथनगर, हैदराबाद के माध्यम से 50,285 शिपिंग बिलों (एसबी) में जिनमें एफओबी मूल्य ₹2,467.59 करोड़ के माल का निर्यात (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) किया गया था, लेखापरीक्षा ने ₹823.53 करोड़ मूल्य के निर्यात किए गए माल के लिए 1,245 एसबी की नमूना जांच की और ₹36.38 करोड़ मूल्य के निर्यात किए गए माल के 16 एसबी में विदेशी मुद्रा की गैर-वसूली को बताया जिसमें ₹72.77 लाख की स्वीकृत प्रति-अदायगी शामिल थी।

वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए सीमा शुल्क निर्यात आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 16 एसबी के संबंध में सात निर्यातकों को प्रति-अदायगी के रूप में ₹72.77 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। हालांकि, इन एसबी के परस्पर सत्यापन और डीजीएफटी वेबसाइट पर निर्यात आय की वसूली के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त निर्यातकों के संबंध में बिक्री आय 10 से 20 महीनों की अवधि के अंतराल के बाद भी प्राप्त नहीं की गई थी। तदनुसार, निर्यात आय की प्राप्ति न होने के कारण निर्यातकों से ₹72.77 लाख की प्रति-अदायगी शुल्क की राशि वसूली योग्य थी।

यह बताए जाने पर (जनवरी 2020), प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, हैदराबाद ने बताया (मार्च 2021) कि 16 एसबी में से, निर्यातकों ने 15 एसबी के संबंध में ब्याज के साथ प्रति-अदायगी राशि के अंतर का भुगतान किया था। तथापि, वसूल की गई वास्तविक प्रति-अदायगी राशि को प्रस्तुत नहीं किया गया है। शेष एसबी के संबंध में, एससीएन जारी किया गया था (मार्च 2020) और अधिनिर्णयन के अधीन था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)

4.2.6 विशेष आर्थिक क्षेत्र

(क) सेज़/आईसीडी/सीएफएस में तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए लागत वसूली प्रभारों की वसूली न होना

निर्यात के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) योजना शुरू की गई थी (अप्रैल 2000)।

भारत सरकार (जीओआई), वाणिज्य विभाग (सेज डिवीजन) के परिपत्र एफ.सं.ए-1/3/2008-सेज दिनांक 16 सितंबर 2010 के अनुसार, वास्तविक के अनुसार एसईजेड में तैनात कार्मिकों के वेतन और भत्ते के लिए सभी व्यय जैसे छुट्टी वेतन योगदान और पेंशन योगदान (नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में) लागू वेतन बैंड और ग्रेड पे पर डेवलपर्स द्वारा वहन किया जाएगा। भारत सरकार के परिपत्र के अनुसार, संबंधित क्षेत्र के विकास आयुक्त (डीसी) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वेतन और भत्ता व्यय के कारण लागत वसूली शुल्क को वसूल करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय वर्ष के बाद प्रत्येक छमाही के लिए, वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने के पंद्रहवें दिन तक मांग की जानी चाहिए और भुगतान उस छमाही के शुरू होने से पहले किया जाना है जिसके लिए मांग जारी की गई है। भुगतान में देरी होने पर 12 *प्रतिशत* का दंडात्मक ब्याज लग सकता है।

इसी तरह, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (बोर्ड) के पत्र संख्या 11018/9/91-विज्ञापन IV, दिनांक 1 अप्रैल 1991, के अनुसार संरक्षकों[22] (आईसीडी/सीएफएस) को लागत वसूली के आधार पर तैनात सीमा शुल्क कार्मिकों के संबंध में पोस्ट की औसत लागत के 1.85 गुना, प्लस डीए, सीसीए, एचआरए आदि की एक समान दर पर लागत वसूली शुल्क (सीआरसी) का भुगतान करना आवश्यक है।

[22] संरक्षक- सीमा शुल्क क्षेत्र में उतारे गए सभी आयातित माल के संबंध में सीमा शुल्क आयुक्त को एक संरक्षक नियुक्त करना होता है जिसके तहत आयातित माल घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी मिलने तक रहेगा, या कानून में दिए गए अनुसार गोदाम में या स्थानांतरित किया जाता है।

इसके अलावा, परिपत्र संख्या 52/97-सीमा शुल्क दिनांक 17 अक्टूबर 1997, संख्या 80/98-सीमा शुल्क दिनांक 26 अक्टूबर 1998 के अनुसार, सीमा शुल्क आयुक्त आईसीडी/सीएफएस में तैनात कार्मिकों की संख्या के लिए तीन महीने के लिए अग्रिम लागत वसूली शुल्क जमा स्वीकार करेंगे।

डीसी, सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईईपीज़ेड) सेज़, मुंबई और कस्टम हाउस, दाहेज, आयुक्तालय-सीमा शुल्क, अहमदाबाद के अन्तर्गत के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि लागत वसूली शुल्क (सीआरसी) के प्रति ₹9.30 करोड़ की कुल मांग के सापेक्ष मार्च 2013 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए 18 इकाइयों से ₹6.09 करोड़ शेष था। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि डीसी, एसईईपीज़ेड के तहत 13 इकाइयों में से 12 इकाइयों[23] ने स्थापना के बाद से सीआरसी का भुगतान नहीं किया था और ₹5.53 करोड़ की राशि तीन से सात वर्षों के बीत जाने के बाद भी वसूल नहीं की गई थी। उक्त प्रावधानों के अनुसार अग्रिम रूप से मांग उठाने के स्थान पर पदस्थापन अवधि पूर्ण होने के बाद ही मांगों को उठाया गया था। सीमा शुल्क हाउस दाहेज के तहत पांच इकाइयों ने ₹56.08 लाख के लागत वसूली प्रभारों का कम भुगतान किया था।

इस प्रकार, निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में विभाग द्वारा अग्रिम रूप से समय पर मांग उठाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.09 करोड़ तक की लंबित सीआरसी का संचयन हुआ।

[23] सभी एमआईडीसी (पुणे, औरंगाबाद, लातूर, फल्टन सेज, केसुरदी और नांदेड़), मेसर्स एएसी इंटरनेशनल लिमिटेड, मेसर्स एएडी सेज (औरंगाबाद), मेसर्स एएई पावर कंपनी लिमिटेड, मेसर्स एएएफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड, मेसर्स एएजी जेम्स लिमिटेड और मेसर्स एएएच लिमिटेड.

इस विषय में बताए जाने पर (जुलाई/अगस्त 2018/मार्च 2020), प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, अहमदाबाद ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और सूचित किया (दिसंबर 2019) कि पांच इकाईयों से ₹56.08 लाख की आपत्तिकृत राशि वसूल कर ली गई है। डीसी, एसईईपीज़ेड का उत्तर प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

नई दिल्ली **(कार्तिकेय माथुर)**

दिनांक: 06 दिसम्बर 2021 **प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 10 दिसम्बर 2021 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**